फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 54 प्रभात जयपुर, गुरूवार 24 सितम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

When Insurance Becomes Lack Of It

I went to hospital for my gallbladder. My insurance company wanted to discuss my skull. My childhood one

Know The Silk You Will Buy

An African Slave Introduced Inoculation

गत दस माह में 14 शिकायतें दर्ज करायी हैं, इलैक्शन कमिश्नर्स ने सीईसी के खिलाफ

शिकायतों में इलैक्शन कमिश्नर्स ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार ने उन्हें चुनाव आयोग के ऑफिशियल निर्णयों में शामिल नहीं होने दिया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 सितम्बर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आज एक बड़े खुलासे से भारी झटका लगा, जिसमें तीन सदस्यीय चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, उसकी कार्यप्रणाली और सत्ता में बैठे लोगों के प्रति उसके कथित झुकाव पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

"द इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित एक खुलासे ने मोदी सरकार को अंदर तक हिला दिया है। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि चुनाव आयोग किस तरह काम कर रहा है।

नागरिकों को उनके वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उनके नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं।

- **चीफ इलैक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, निर्णय लेते समय थोड़ी बहुत चर्चा व असहमति हो सकती है, पर सभी निर्णय सर्व सम्मति से ही लिए गए थे।**
- **इलैक्शन कमिश्नर्स के संबंध में इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट दर्शाती है कि नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों में और चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।**

रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने 10 महीनों में आधिकारिक तौर पर 14 शिकायतें दर्ज कराई थीं। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा और अपने स्तर पर फैसले लिए।

मुख्य चुनाव आयुक्त, अमित शाह और नरेन्द्र मोदी के बेहद करीबी और प्रिय माने जाते हैं और उनके काम करने के अपने अलग ही नियम हैं।

विपक्षी दलों ने उन्हें पद से हटाने की मांग की है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से एक छोटा-सा प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जो इन आरोपों का खंडन करने तक सीमित है।

रिपोर्ट से यह भी खुलासा होता है कि यह सब सरकार, भाजपा और संघ परिवार के भीतर चल रहे संघर्ष का परिणाम है।

इसका नतीजा इस रिपोर्ट के रूप में सामने आया है, जिसने दिल्ली और राजनीतिक प्रतिष्ठान को हिलाकर रख दिया है।

एसआईआर ने लाखों मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार से वंचित कर दिया है। यह दिखाता है कि लोकतंत्र किस तरह विकृत होता जा रहा है और सत्तारूढ़ दल हर कीमत पर चुनाव जीतने पर आमादा है।

नितिन नबीन 25 को जयपुर में

जयपुर, 23 सितंबर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 25 सितम्बर को जयपुर आएंगे। वे निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड विजय के अवसर पर आयोजित, पार्टी के विजयी पार्षदों, जन प्रतिनिधियों के स्वागत - अभिनन्दन समारोह को सम्बोधित करेंगे।

भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि नितिन नबीन 25 सितंबर को सेवा संकल्प अभियान में प्रात: 7.30 बजे अल्बर्ट हॉल, जयपुर में आयोजित स्वच्छता सेवा कार्यक्रम में रहेंगे। उन्होंने बताया कि बगरू के गांव दादिया में प्रात: 11 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर विशाल कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में हाल ही में सम्पन्न नगर निकाय चुनाव में विजयी हुए भाजपा पार्षदों तथा प्रत्याशियों का स्वागत-अभिनन्दन किया जाएगा।

- **वे निकाय चुनाव में विजयी भाजपा पार्षदों का स्वागत करेंगे तथा पंचायत चुनाव अभियान के 90 प्रचार रथों को रवाना करेंगे।**

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दादिया से ही भाजपा के पंचायत चुनाव

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'राजनैतिक दुष्प्रचार को बार-बार दोहराने से सच को नहीं बदला जा सकता'

भारत ने कश्मीर मुद्दा उठाने पर ओआईसी को लताड़ा और कहा, इससे ओआईसी की विश्वसनीयता खतरे में पड़ सकती है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 सितम्बर। भारत ने बुधवार को ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआईसी) के संपर्क समूह (कॉन्टैक्ट ग्रुप) द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ति में जम्मू-कश्मीर के संदर्भों को कड़े शब्दों में खारिज कर दिया। भारत ने उन्हें "अनावश्यक और तथ्यात्मक रूप से गलत" बताया तथा कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करना इस समूह का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल द्वारा साझा किए गए बयान में यह प्रतिक्रिया तब आई, जब ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप, जिसमें पाकिस्तान, तुर्किये, सऊदी अरब, अजरबैजान और नाइजर शामिल हैं, ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान मीटिंग की। संयुक्त विज्ञप्ति में मई 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर चिंता जताई गई, भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाही को "गैरकानूनी" बताया गया और दक्षिण एशिया में स्थायी शांति को जम्मू-कश्मीर मुद्दे के अंतिम समाधान से जोड़ा गया, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप हो। इसमें कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार

- **भारत के विदेश मंत्रालय ने ओआईसी को सलाह दी कि वह पाकिस्तान के दावों पर ध्यान न दे और पाकिस्तान को उसके मनगढ़ंत दुष्प्रचार के लिए मंच उपलब्ध न कराए और बेहतर होगा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रोत्साहन न देने के लिए कहे।**
- **न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समानानंतर ही ओआईसी, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की, अज़रबैजान व नाइजर शामिल हैं, की भी मीटिंग हुई, जिसमें कश्मीर मुद्दा उठाया गया और ऑपरेशन सिंदूर को गैर कानूनी कृत्य बताया गया।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'महिलाओं की सुरक्षा का बोझ महिलाओं पर नहीं डाला जा सकता'

लेडी श्रीराम कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष अनुषा गर्ग नाबालिग से दुष्कर्म के बाद कक्षाएं रद्द करने के फैसले पर बुरी तरह भड़कीं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 सितम्बर। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज (एलएसआर) की स्टूडैंट यूनियन ने कॉलेज की नियमित कक्षाएं रद्द कर उन्हें ऑनलाइन करने के फैसले की आलोचना की है। यह फैसला पास के एक पार्क में 17 वर्षीय लड़की के साथ कथित रेप की घटना के बाद लिया गया। छात्रसंघ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा का बोझ "सिर्फ महिलाओं पर नहीं डाला जा सकता।"

लेडी श्रीराम कॉलेज छात्रसंघ की अध्यक्ष अनुषा गर्ग ने कहा, "महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ उन्हें ज्यादा सावधान रहने की सलाह देकर हल नहीं किया जा सकता। ध्यान, सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों, भरोसेमंद लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट, पुलिस की स्पष्ट मौजूदगी, आसानी से शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था और समय पर जवाबदेही पर होना चाहिए।"

- **छात्रसंघ की अध्यक्ष अनुषा गर्ग ने कहा कि छात्राएं अपने कॉलेज के बाहर ही सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं को सावधान रहने की सलाह देकर ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाए। अंतिम छोर तक परिवहन की भरोसेमंद व्यवस्था हो, पुलिस की मौजूदगी हो तथा शिकायत दर्ज करने की सुगम व्यवस्था हो।**
- **सोमवार को लेडी श्रीराम कॉलेज के समीप आस्था कुंज पार्क में एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद लेडी श्रीराम कॉलेज की प्रिंसिपल, कनिका के आहूजा ने छात्राओं की सुरक्षा का हवाला देकर कक्षाएं रद्द कर दी।**

उनके अनुसार, महिलाएं जहाँ भी जाती हैं या यात्रा करती हैं, उन्हें हर समय सुरक्षा को लेकर सोचना पड़ता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप प्रोटोकॉल तोड़कर जिनपिंग का स्वागत करेंगे

मॉस्को, 23 सितंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप वाशिंगटन के पास जॉइंट बेस एंड्रयूज में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से व्यक्तिगत मुलाकात के लिए लगभग 60 वर्षों से चले आ रहे प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे। "फाइनेंशियल टाइम्स" अखबार की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23-25 सितंबर तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। ट्रंप प्रशासन में प्रोटोकॉल प्रमुख मोनिका क्रॉली ने कहा कि ट्रंप व्यक्तिगत रूप से टारमैक पर शी का स्वागत करेंगे, जो उनकी ओर से एक दुर्लभ कदम होगा।

ट्रंप बुधवार को जॉइंट बेस एंड्रयूज में शी से मिलेंगे। यह पहला अवसर होगा जब कोई अमेरिकी कमांडर-इन-चीफ

- **यह पहला अवसर है जब कोई अमेरिकी कमांडर इन चीफ किसी विश्व नेता का मिलिटरी बेस पर स्वागत करेगा।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'भरतपुर क्रिकेट एसो. के सचिव यौन उत्पीड़न के मामले में सहयोग करें, ऑफिशियल काम न करें'

हाईकोर्ट ने यह आदेश आर.सी.ए. द्वारा शत्रुधन तिवाड़ी के निलंबन के आदेश रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 23 सितम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी, जिस पर कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीडन करने, और पॉक्सो एक्ट के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है के मामले में सुनवाई करी और आदेश दिये हैं कि भरतपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव शत्रुधन तिवाडी यौन शोषण के आरोपों की पुलिस जांच खत्म होने तक एसोसिएशन से संबंधित किसी भी जरूरी कार्य में फैसला नहीं लेंगे। अदालत ने कहा है कि शत्रुधन तिवाडी किसी भी तरह से साक्ष्यों के साथ छेडखानी नहीं करेंगे, गवाहों और शिकायतकर्ता पर दबाव नहीं बनायेंगे, एसोसिएशन के रिकॉर्ड के साथ छेडछाड नहीं करेंगे और पुलिस के साथ जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

- **उल्लेखनीय है कि शत्रुधन तिवाड़ी, जिन पर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और पॉक्सो एक्ट के संबंध में एफआईआर दर्ज है, को 18 जून को निलंबित किया गया था, परंतु आरसीए ने एक अगस्त को इनके निलंबन के आदेश रद्द कर दिये थे।**

जैसा कि विदित है कि 1 अगस्त को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) ने भरतपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव शत्रुधन तिवाडी, जिन पर यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट के संबंध में एफआईआर दर्ज है, के 18 जून को जारी किए गए निलंबन के आदेश खारिज कर दिये थे। आरसीए के इस आदेश के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। इस मामले में याचिका दायरकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष शर्मा पैरवी के लिए पेश हुए थे। उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध जाते हुए आरसीए ने शत्रुधन तिवाडी के निलंबन के आदेश रद्द कर दिये हैं जबकि शत्रुधन तिवाड़ी स्वयं निलंबन के खिलाफ अपील दायर कर सकते थे।

न्यायाधीश मनीष शर्मा की अदालत ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद शत्रुधन तिवाडी के खिलाफ आदेश देते हुए कहा है कि वह भरतपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के जरूरी कामकाज में भाग नहीं ले सकते और जांच में भी सहयोग करेंगे।

गौतम अडाणी देश के सबसे अमीर कारोबारी बने

नई दिल्ली, 23 सितंबर। "एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026" के अनुसार, अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी और उनका परिवार एक बार फिर देश के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।

13 फीसदी की सालाना वृद्धि के साथ गौतम अडाणी की कुल संपत्ति 9.23 लाख करोड़ रुपये (96 अरब डॉलर) तक पहुंच गई है, जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति में 10 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और यह 8.63 लाख करोड़ रुपये (90 अरब डॉलर) रह गई है। इसके साथ ही, गौतम अडाणी ने मुकेश अंबानी पर 59,400 करोड़ रुपये की बढ़त बना ली है। देश में डॉलर आधारित अरबपतियों की संख्या बढ़ कर रिकॉर्ड 391 के स्तर पर पहुंच गई है।

हुरुन की इस नई सूची में कम से कम 1,000 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत संपत्ति वाले कुल 1,810 व्यक्ति शामिल हैं।

इन सभी अमीरों की संयुक्त संपत्ति पिछले वर्ष की तुलना में 12.8 प्रतिशत बढ़ कर 187.5 लाख करोड़ रुपये (1.96 ट्रिलियन डॉलर) हो गई है, जो

- **हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार 2026 में अडाणी की कुल संपत्ति 9.23 लाख करोड़ रु. थी व मुकेश अंबानी की कुल 8.63 लाख करोड़ थी।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मायावती ने ईशान आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया

लखनऊ, 23 सितंबर। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार के छोटे बेटे ईशान आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। इससे पहले, यह पद आकाश आनंद के पास था, लेकिन मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

ईशान आनंद ने बैठक में मौजूद सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें बसपा के राष्ट्रीय संयोजक की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे सभी साथियों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हैं कि पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वे कभी निराश नहीं करेंगे। इसके बाद ईशान ने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी को लेकर मायावती ने बुधवार को लखनऊ

- **ईशान कुमार उनके भाई आनंद कुमार के छोटे बेटे हैं।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'बिना सुनवाई का मौका दिए नूरानी मस्जिद और मदरसा तोड़ने की कार्रवाई क्यों की गई'

हाईकोर्ट ने मालवीय नगर में रेलवे लाइन के पास बनी मस्जिद पर जेडीए द्वारा 8 जून को पीला पंजा चलाये जाने के मामले में जवाब तलब किया

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 23 सितम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए आयुक्त, जोन-7 के उपायुक्त और प्रवर्तन अधिकारी को नोटिस जारी किया और मालवीय नगर स्थित नूरानी मस्जिद व मदरसा तोड़ने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब तलब किया। अदालत में दायर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की याचिका में आरोप लगाया गया है कि जेडीए ने तोड़फोड़ की कार्रवाई करने से पूर्व, नूरानी मस्जिद और मदरसा के संचालक को कोई कानूनी नोटिस जारी नहीं किया था और वक्फ बोर्ड तथा मस्जिद और मदरसा के संचालक को सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया और बिल्कुल ही गैर कानूनी तरीके से वक्फ की संपत्ति को तोड़ने की कार्रवाई की है। जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा है कि इस मामले को सुनवाई के लिए आठ हफ्ते बाद सूचीबद्ध किया जाए।

याचिका में अधिवक्ता नकवी सेहबान नजीब ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बोर्ड के स्वामित्व में मालवीय नगर के अशोक विहार में एक वक्फ संपत्ति है, जिसे नूरानी मस्जिद एवं मदरसा के नाम से जाना जाता है। नकवी का कहना है कि इस मस्जिद और मदरसा का निर्माण साल 1981 में किया गया था और तब से यहां मुस्लिम समुदाय के नमाज सहित, अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते आ रहे हैं। याचिकाकर्ता को गत 8 जून को पता चला कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस मस्जिद व मदरसा को अल-सुबह ध्वस्त कर दिया है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को जेडीए की ओर से कार्रवाई करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया, जिससे उसे सुनवाई का मौका भी नहीं मिला। याचिका में कहा गया कि जेडीए की ओर से 5 जून को धारा 72 के तहत एक नोटिस जारी किया जाना बताया जा रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता को यह नोटिस प्राप्त ही नहीं हुआ।

- **याचिकाकर्ता के वकील सेहबान नकवी का कहना है कि अगर यह मान भी लिया जाए कि जेडीए ने यह तथाकथित नोटिस याचिकाकर्ता के नाम पर जारी किया था, लेकिन, नोटिस पढ़ने से यह साफ जाहिर हो जाता है कि 5 जून को तथाकथित रूप से जारी इस नोटिस में याचिकाकर्ता को 7 जून को सुबह 11 बजे जेडीए आयुक्त के समक्ष पेश होकर अपना जवाब देना था। यहां उल्लेखनीय है कि 7 जून को रविवार था, जिस दिन सरकारी दफ्तर बंद होते हैं।**
- **याचिकाकर्ता का कहना है कि जेडीए द्वारा तथाकथित रूप से जारी नोटिस में किसी भी प्लॉट या प्रोपर्टी का नंबर दर्ज नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह नोटिस किस प्रोपर्टी मालिक या संस्था को जारी किया गया था।**

याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि अगर यह मान भी लिया जाए कि जेडीए ने यह तथाकथित नोटिस याचिकाकर्ता के नाम पर जारी किया था, परंतु नोटिस पढ़ने से यह साफ जाहिर हो जाता है कि कथित तौर पर 5 जून को जारी इस नोटिस में याचिकाकर्ता को 7 जून को सुबह 11 बजे जेडीए आयुक्त के समक्ष पेश होकर अपना जवाब देना था। यहां उल्लेखनीय है कि 7 जून को रविवार था, जिस दिन सरकारी दफ्तर बंद होते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जेडीए द्वारा जारी तथाकथित नोटिस में किसी भी प्लॉट या प्रोपर्टी का नंबर दर्ज नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह नोटिस किस प्रोपर्टी मालिक या संस्था को जारी किया गया था।

याचिकाकर्ता का कहना है कि जेडीए केवल एक निकाय है, जो अतिक्रमण हटाने के संबंध में भी कार्रवाई करता है, लेकिन वक्फ प्रोपर्टी का मालिकाना हक तय करने का अधिकार उसे नहीं है और किसी भी संपत्ति को बिना कानूनी रूप से सुनवाई कर तोड़ने का अधिकार भी उसे नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जेडीए द्वारा 5 जून को नोटिस दिया जाना और फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई 8 जून को ही करने का कार्यक्रम इसलिए अपनाया, क्योंकि उस समय सामान्य रुप से अदालत कार्यरत नहीं थी।

याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे में जेडीए की यह कार्रवाई गलत ही नहीं, गैर कानूनी भी है। इसलिए जेडीए की इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)